(1)

राजस्थान सरकार

# कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

क्रमांकः–आत्मा / जोधपुर / लेखा / निविदा / 2018–19 / 236–39 दिनांकः–17.05.18

## खुली निविदा संख्या 03 / 18–19

इस कार्यालय द्वारा सचालित विभिन्न कृषि योजनाअन्तर्गत विभिन्न स्तर पर आयोजित किसानों के लिये कृषक प्रशिक्षण / कृषक भ्रमणों / किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु भोजन व्यवस्था एवं सप्लाई हुई जोधपुर जिले में ग्राम / पंचायत समिति, जिला मुख्यालय स्तर, जिले से बाहर, राज्य से बाहर जब आवश्यकता हो के आधार पंजिकृत फर्मो / व्यक्तियो से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है ।

| क्र. सं. | निविदा का नाम कार्य का विवरण | अनुमानित राशि | बयाना / धरोहर राशि | निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषक प्रशिक्षण / कृषक भ्रमणों / किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था | 3.00 लाख | 6000 / – | 400 / – | वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु (31 मार्च 2019 तक ) |

निविदा की विस्तृत शर्ते http://sppp.rajasthan.gov.in एव विभागीय वेबसाईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है ।

1. बयाना / धरोहर राशि डीडी निविदा फार्म के साथ जो कि उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर के नाम देय होगा। डी डी निविदा खोलने से पूर्व जमा कराना होगा ।
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने कि दिनांक 17 / 5 / 18 से दिनांक 31 / 05 / 18 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. भरी हुई निविदा जमा करने की दिनांक 31 / 05 / 18 समय 6:00 पीएम तक जमा तथा प्राप्त निविदाए खोलने की दिनांक 1 / 6 / 18 को दोपहर बाद 4:00 बजे से।
4. निविदा को स्वीकार /अस्वीकार तथा निरस्त करने के समस्त अधिकार बिना किसी सूचना के विभाग के पास सुरक्षित है ।
5. निविदा के साथ ( पैन नम्बर / टीन नम्बर / जी. एस. टी. पंजियन प्रमाण पत्र, फूड लाइसेस प्रमाण पत्र, यह समस्त दस्तावेज सलग्न होना आवश्यक है इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।

(हरीश मेहरा)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर
दिनांकः– 17.05.18

क्रमांकः– आत्मा / जोधपुर / लेखा / निविदा / 2018–19 / 236–39

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान सयुक्त निदेशक कृषि खण्ड जोधपुर ।
2. श्रीमान एनलिस्ट कम प्रोगामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishi.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड करावे ।
3. नोटिस बोर्ड कार्यलय हाजा ।
4. लेखा शाखा /भंडार पाल कार्यलय हाजा ।

(हरीश मेहरा)
उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

(2)

राजस्थान सरकार

# कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

निविदा फार्म शुल्क–400

नकद / बैकर चैक / डीडी संख्या................................

दिनांक....................................

जारी दिनांक......................................................

## निविदा प्रारूप

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कार्यालय का नाम | उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा" जोधपुर |
| 2. | निविदा सूचना संख्या | कमांकः–आत्मा / जोधपुर / लेखा / निविदा / 2018–19 / 236–39<br>दिनांकः– 17.05.18 |
| 3. | अमानत राशि | राशि 6000 / – बैकर चैक / डीडी नं.............................दिनांक ..............<br>संलग्न आवश्यक है । |
| 4. | निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पूर्ण पता | निविदा दाता / व्यक्ति / फर्म का नाम ..........................................<br>..........................................................................<br>..........................................................................<br>टेलीफोन नं. ..........................................मोबाईल नं............................ |
| 5. | सलग्न दस्तावेज | पैन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है / नही<br>टिन नम्बर की फोटो प्रति संलग्न है / नही<br>जी.एस.टी. की फोटो प्रति संलग्न है / नही<br>फूड लाईसेस की फोटो प्रति संलग्न है / नही |
| 6. | निविदा प्राप्त एवं खोलने की दिनांक एवं समय | दिनांक 31 / 5 / 18 तक प्राप्त व दिनांक 1 / 6 / 18 को दोपहर बाद 4:00 बजे खेली जायेगी। |
| 7. | अनुबंध अवधि | वित्तीय वर्ष 2018–19 मे जब भी आवश्यकता होने के आधार पर दिनांक 31.3.2019 तक वैद्य है। |
| 8. | कार्य का विवरण | वर्ष 2018–19 जब भी आवश्यकता हो, के आधार पर कृषक प्रशिक्षण / कृषक भ्रमणों / किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करना |
| 9. | प्रस्तावित दर | प्रस्तावित दरे रूपये समस्त कर सहित प्रति व्यक्ति फुल डाईट (भरपेट भोजन) |

| 10. | **कार्य का विवरण** | प्रस्तावित दरें रूपयें / डाईट | | |
|---|---|---|---|---|
| | | जिला मुख्यालय जोधपुर पर दरें | जोधपुर जिले के बाहर (राज्य भ्रमण) | राज्य के बाहर (अन्तर्राज्जीय भ्रमण की दरें) |
| 1. | भोजन प्रति डाईट (भरपेट भोजन) मीन्यू<br>1. गेहू की रोटी शुद्व घी से चुपडी हुई, दो सब्जी (एक मौसम के अनुसार) दो मिठाई पीस (अनुमानित 100 ग्राम), सलाद, अचार सहित औसत डाईट | | | |
| 2. | भोजन प्रति पैकेट (सिल्वर फॉइल सहित डिब्बा बन्द टिश्यू पेपर सहित) मीन्यू<br>1. गेहू की रोटी शुद्व घी से चुपडी हुई, दाल, सब्जी, पापड़, दो मिठाई पीस (अनुमानिम 100 ग्राम), सलाद, अचार सहित औसत डाईट | | | |
| 3. | नाश्ता प्रति प्लेट मीन्यू<br>1. पौहा / उपम्मा / कचौरी / समोसा / 150 ग्राम (प्रति नग) | | | |
| 4. | चाय<br>1. चाय प्रति कप 100 एमएल | | | |
| 5. | चाय नाश्ता(100मिली. दो बार)(पोहा / उपमा 150ग्राम) तथा भरपेट भोजन ( गेहू की रोटी शुद्व घी से चुपडी हुई, दो सब्जी (एक मौसम के अनुसार) दो मिठाई पीस (अनुमानित 100 ग्राम), सलाद, अचार सहित | | | |

निविदा दाता / बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता

मैने /हमने उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई बोली की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से पढ व समझ लिया है तथा मुझे/हमे बोली की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठो पर उल्लेखित शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर

(4)

राजस्थान सरकार

# कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", जोधपुर

फोन न0 0291-2541207 E-Mail :- pdatma_jod@rediffmail.com

## निविदा की शर्तें

कार्यालय द्वारा वर्ष 2018–2019 मे आत्मा योजनान्तर्गत आयोजित कृषक प्रशिक्षण/कृषक भ्रमणों/ किसान मेला एवं अन्य गतिविधियों हेतु चाय नाश्ता भोजन की उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 03/2018–19 की शर्ते निम्नानुसार है। निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तो को ध्यान पूर्वक पढे एवं प्रत्येक पृष्ठो पर अपने हस्ताक्षर कर निविदा के साथ सलग्न करे ।

1. इच्छुक निविदादाता को निविदा मे दिये गये निदेर्शो के अनुसार निविदा फार्म इस कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते हैं।
2. निविदा के साथ ( पैन नम्बर , टीन नम्बर, फूड लाइसेस प्रमाण पत्र,जी.एस.टी. यह समस्त दस्तावेज सलग्न होना आवश्यक है इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी व दरे अमान्य होगी।
3. प्रस्तुत दरे समस्त(जी. एस.टी.) कर सहित प्रस्तुत करे जिसमे समस्त प्रकार के कर सम्मिलित हो ।
4. किसी भी प्रकार की शर्ते सलग्न नही करे। सर्शत निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।
5. नियमानुसार लागू पंजीयन एव मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित पंजियन शुल्क 0.25 प्रतिशत दर से देय जो निविदा की राशि पर देय है का भुगतान निविदादाता को चुकाना होगा ।
6. निर्धारित धरोहर राशि 6000/– का डीडी / चैक निविदा के साथ संलग्न होना आवश्यक है। तथा निविदा फार्म शुल्क 400/–कार्यालय केशियर के पास नकद जमा कराकर प्राप्त कर सकते है।
7. निविदा स्वीकार होने के पश्चात् निर्धारित तीन दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार पांच प्रतिशत की दर से राशि 15000 अक्षरे पन्द्रह हजार जमा करानी होगी जो कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर एव फर्म द्वारा समस्त बकाया कर (वैट एव सेवा कर ) आदि जमा के चालान प्रस्तुत करने पर एव कोई राशि बकाया नही होने के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्ण संतुष्ट होने पर लौटाई जावेगी । निविदा स्वीकार होने के पश्चात नियमानुसार (पंजीयन एव मुद्रांक विभाग के आदेश अनुसार 0.25 प्रतिशत) 750 रूपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर कराकर कर नोटेरी द्वारा प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा इसके प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा । इस पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान निविदादाता का होगा । कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नही किया जावेगा ।
8. नियमानुसार देय भुगतान मे से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी ।
9. आयकर के अलावा देय समस्त कर का भुगतान निविदादाता को ही करना होगा।
10. निविदादाता को भुगतान करने से पूर्व भुगतान पर देय वैट की राशि एव देय सेवा कर की राशि संबंधित विभाग मे जमा करा कर चालान प्रति प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात ही देय भुगतान निविदादाता को किया जावेगा । आप द्वारा देय वैट राशि एव सेवा कर राशि जमा नही कराने पर एव बकाया राशि होने पर नियमानुसार जमा धरोहर राशि मे से काटी जाकर संबंधित विभाग मे जमा करायी जावेगी । जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा ।
11. ग्राम /पंचायत समिति/ जिला स्तर/ जिले से बाहर/ राज्य से बाहर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों/ भ्रमणों/ मेले एवं अन्य गतिविधियों में उपस्थित कृषको हेतु प्रति दिन भोजन उपलब्ध कराना है। कृषको की संख्या में वृद्धि होने पर आनुपातिक रुप से भूगतान किया जायेगा।
12. पंचायत समिति/ जिला स्तर/ जिले से बाहर/ राज्य से बाहर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण/ भ्रमण कार्यक्रम से निविदादाता को निश्चित रुप से अवगत कराया जायेगा।
13. प्रशिक्षणों/ भ्रमणों/ मेले एवं अन्य गतिविधियों स्तर पर भोजन पहुचाने का समस्त व्यय तथा वाहन आदि का खर्च निविदादाता का होगा ।
14. खाना निर्धारित व उचित गुणवता का व देशी घी में निर्मित चुपडी चपाती एव सब्जियां शुद्व मुंगफली के तेल मे बनी हुई होनी चाहिए ।
15. खाना पकाने एव खाना खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एव अन्य सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को स्वय के स्तर पर करनी होगी । इसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।तथा स्वास्थ्यप्रद दशाओ के साथ स्वयं के स्तर पर व्यवस्था करनी होगी।
16. निविदादाता को निविदा के समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तो एव समझौते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है । निविदा दाता को निविदा प्रारूप के प्रारूप के प्रत्यके कॉलम को भरना अति आवश्यक है। इसके अभाव मे निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।

17. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।

18. प्रस्तुत दरे वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए दिनांक 31.3.2019 तक के लिए ही मान्य होगी । इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढाया जा सकेगा ।

19. निविदादाता को चाय,नाश्ता,भोजन आदि की आपूर्ति स्वय के खर्चे पर वांछित प्रशिक्षण स्थलो पर करनी होगी।

20. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौंपेगा या उसे भाडे पर नही देगा ।

21. निविदादाता द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार भोजन नही होने पर उसका भुगतान नही किया जावेगा तथा उस समय पर खर्च हुए अतिरिक्त व्यय के समस्त भुगतान की कटौती निविदादाता को देय भुगतान मे से की जावेगी । निर्धारित स्पेशिफिकेशन मे कोई आईटम की कमी होने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी ।

22. सप्लाई भोजन की उच्च अधिकारियो द्वारा आकस्मिक जांच की जावेगी जिसमे किसी प्रकार की दोषपूर्ण स्थिति होने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी ।

23. निम्न गुणवता के कारण उत्पन्न समस्त परिणामो/परिस्थितियो हेतु निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

24. भोजन की गुणवता पर शिकायत या संशय होने की स्थिति में प्रभारी द्वारा जांच की जावेगी एवं सिफारिश अनुसार कटोती की जावेगी।

25. निर्धारित समय/अवधि मे कार्य सम्पादित नही करने पर उस समय की गई चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था की पूर्ण भुगतान राशि की वसूली निविदा दाता से की जावेगी एवं नियमानुसार शास्ती आरोपित की जावेगी एवं हानियो की वसूली की जावेगी।

26. निविदा मे दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती है ।

27. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तो मे संशोधन का अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित होगा । तथा किसी भी विवाद की स्थिति में क्षैत्राधिकार जोधपुर होगा।

उपरोक्त कम संख्या 1 से 27 तक की शर्ते मुझे/हमे स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर